16/1/15

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

2 JAN

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

V 445630

2-2-15

ABDUL SAMI
Advocate
Reg. No.-1155186
Civil Court, Lakhimpur-Kheri

3344

# ट्रस्ट लेखा पत्र

ट्रस्ट का गठन –

आज दिनांक 02/02/2015 को श्री एम॰आर॰ अन्सारी पुत्र श्री मोहम्मद शफी स्थायी पता मोहल्ला जोशी टोला खीरी टाउन जिला–लखीमपुर–खीरी अस्थायी पता ई0–2/667 विनय खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अन्तर्गत एक सामाजिक ट्रस्ट का पंजीकरण कराया गया जिसका नाम विश्व मानवाधिकार परिषद है जिसका विवरण इस प्रकार है –

मानवाधिकारों के विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक सामाजिक ट्रस्ट का गठन किया गया है जिसमें एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसमें एक अध्यक्ष/संयोजक जो मुख्य ट्रस्टी होगा जिसमें दो उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सचिव, दो संगठन सचिव, दो विधिक सलाहकार, एक कोषाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को मिलाकर एक ट्रस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी एवं भारतवर्ष के सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा एवं जिला स्तर पर जिला कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु हर सम्भव प्रयास करना एवं मानवाधिकार हनन को रोकने हेतु हर सम्भव प्रयास करना ही मुख्य उद्देश्य होगा।

उद्देश्य –

1. समस्त नागरिकों के सामाजिक, मानसिक, नैतिक चारित्रिक, बौद्धिक विकास करना।
2. समस्त नागरिकों के परिवारों के गरीब बच्चों के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास करना।
3. आम आदमी के अधिकारों के हितों की रक्षा करना।
4. मानवाधिकार परिवारों के वृद्धों, अनाथ बच्चों के उत्थान हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
5. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार व उसका प्रचार–प्रसार करना।
6. मानवाधिकारों के विकास हेतु देश व विदेश की बड़ी–बड़ी संस्थाओं से दान, अनुदान प्राप्त करने हेतु सम्पर्क स्थापित करना।
7. मानवाधिकार के हनन को रोकने का हर सम्भव प्रयास करना।
8. महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने का प्रयत्न करना।
9. बाल विवाह रूकवाने का प्रयत्न करना।
10. पुलिस और आम नागरिकों में व्यवहार कायम करने का प्रयत्न करना।
11. शांति मानवाधिकार और लोक तन्त्र की शिक्षा के लिए हर सम्भव प्रयास करना।
12. भ्रष्टाचार मुक्त हेतु शासन प्रशासन से सम्पर्क स्थापित करना।
13. मानवाधिकार के संरक्षण के लिए उच्चाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना।
14. मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना।
15. मानवाधिकार संरक्षण के परिवर्तन में गैर सरकारी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।

शेष पृष्ठ –2– पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 230947



16 सामाजिक एव लोकहित को ध्यान मे रखते हुये न्यायालयों का सहयोग करना।
17 मानवाधिकार के निर्देशों के अनुसार सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना।
18 पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने हेतु हर सम्भव प्रयास करना।
19 थानो पर पुलिस से सम्पर्क कर पुलिस सहायता दिलाने हेतु सम्पर्क स्थापित करना।
20 पुलिस का स्वयं सेवी संगठनो एवं सामाजिक संस्थाओं से सम्बन्ध एव ताल मेल स्थापित करना।
21 मीडिया कर्मियो का सहयोग करना।

<u>ट्रस्ट नियमावली</u> :

| | | |
|---|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | — | विश्व मानवाधिकार परिषद |
| ट्रस्ट का पता | — | मोहल्ला जोशी टोला खीरी टाउन जिला–खीरी (अस्थायी पता ई–2/667 विनय खण्ड गोमतीनगर लखनऊ। |
| ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र | — | सम्पूर्ण भारत वर्ष |

<u>ट्रस्ट प्रबन्ध कार्यकारिणी</u> :

ट्रस्ट की एक प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसमें एक संयोजक/अध्यक्ष होगा, दो उपाध्यक्ष एक महासचिव, एक सचिव, दो संगठन सचिव, दो विधिक सलाहकार, एक कोषाध्यक्ष, तथा अन्य सदस्यों को मिलाकर एक ट्रस्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी।

<u>ट्रस्ट की सदस्यता</u> :

इसमें सभी व्यक्ति सदस्यता ले सकते है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो सदस्यता ग्रहण कर सकते है इन सभी व्यक्तियों को सदस्यता ग्रहण करने हेतु ट्रस्टी अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी।

<u>आजीवन सदस्य</u> :

जो व्यक्ति ट्रस्ट को दस वर्ष के लिए एक साथ 2100 रू0 देगा व ट्रस्ट का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

<u>सामान्य सदस्य</u> :

वह व्यक्ति जो ट्रस्ट के उद्देश्य में आस्था रखते हो व 150 रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे ट्रस्ट के सामान्य सदस्य बनाये जायेंगे।

शेष पृष्ठ -3- पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

29 JAN 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 230946



<u>सदस्यता की समाप्ति</u> :

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. ट्रस्ट के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित किए जाने पर।

<u>ट्रस्ट के अंग</u> :

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकार्यकारिणी समिति।

<u>साधारण सभा</u>

<u>गठन</u> :

ट्रस्ट के अजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

<u>बैठक</u> :

साधारण सभा की सामन्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

<u>सूचना अवधि</u> :

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी।

<u>गणपूर्ति</u> :

साधारण सभा के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

<u>विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि</u> :

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

<u>कार्यकाल</u> :

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 3 साल का होगा।

**प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः**

<u>अध्यक्षः</u>

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए तिथि निर्धारित करना स्थागित करना एवं निरस्त करना।
3. समानमत होने पर निर्णायक मत देना।

शेष पृष्ठ -4- पर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CK 230948



4. ट्रस्ट की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
5. प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
6. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
7. राजकीय सहायता, अनुदान, ऋण एवं विदेशी सहायता प्राप्त करना।
8. सदस्यों के नामांकन पर विचार करना तथा सदस्य बनने की अनुमति प्रदान करना।
9. समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में आवश्यकतानुसार धन व्यय करना।
10. ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त बिल व वाउचरों, आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों, लेखों-विलेखों, प्रबन्धक पत्रों, ऋण पत्रों, डिमाण्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।

उपाध्यक्ष :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा दिये गये कार्यों को करना तथा उनके कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

महासचिव : अध्यक्ष के द्वारा दिये गये कार्यों को अपने अधिकार के अन्तर्गत कार्य करना।

सचिव :

1. ट्रस्ट की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
2. ट्रस्ट की अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित रखना।
3. बैठक की सूचना को सदस्यों को लिखित रूप में देना।
4. बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना व सुनाना।
5. सदस्यों का नाम रजिस्टर में लिखना।
6. ट्रस्ट के विकास हेतु अन्य कार्य करना।

संगठन सचिव : ट्रस्ट को मजबूत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करना।

विधिक सलाहकार :

समय-समय पर ट्रस्ट को विधिक जानकारी देना।

कोषाध्यक्ष :

1. आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. दान-चन्दा, सदस्यता शुल्क प्राप्त कर रसीद देना तथा प्राप्त धन बैंक में जमा करना।
3. अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

शेष पृष्ठ -5- पर

(Maheshwari)

ट्रस्ट का कोष :

ट्रस्ट का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक / सहकारी बैंक / पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका आहरण ट्रस्ट / अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से होगा।

ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) ::

ट्रस्ट के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सुयोग्य आडीटर द्वारा कराया जायेगा।

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व ::

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व अध्यक्ष पर होगा या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति पर होगा।

ट्रस्ट के अभिलेख ::

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. स्टाक रजिस्टर
4. कैश बुक आदि
5. एजेन्डा रजिस्टर

ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक :- 02/02/2015

Mansari

हस्ताक्षर
एम0आर0 अन्सारी
ट्रस्टी / अध्यक्ष / संयोजक
मोबाइल नम्बर 9794100006

ABDUL SAMI 2-2-2015
Advocate
Reg. No.- [illegible]5186
Civil Court, Lakh[illegible]
ट्रस्ट डीड तैयारकर्ता / [illegible]
अब्दुल सामी एडवोकेट,
सिविल कोर्ट, लखीमपुर–खीरी।

गवाह नं0–1: अनिल कुमार यादव पुत्र श्री कृष्ण यादव
ग्राम· महेवागंज जगदम्बा इंडस्ट्रीज लखीमपुर खीरी-

गवाह नं0–2: माखन लाल वर्मा पुत्र श्री कामता प्रसाद
ग्राम· कौरैय्या संजर लखीमपुर- खीरी-

Mansari
02/02/15

आज दिनांक **02/02/2015** को

बही सं **4** जिल्द सं **59**

पृष्ठ सं **81** से **90** पर क्रमांक **16**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम.के. मिश्र

उपनिबन्धक

लखीमपुर

2/2/2015

क्रम सं० 4 भा०नं० 7 दि० 30/1/15 कीमत 500/

अजय सिंह 30/1/15
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट, लखीमपुर-खीरी
ला० नं० 25 अवधि 31 दिसम्बर 2015

न्यासी

Registration No. 16 Year 2,015 Book No. 4

0101 विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा एम आर अंसारी

मोहम्मद जकी

मो0 जोशी टोला कस्बा खीरी तहसील व जिला लखीमपुर परगना व जिला

अन्य

लखीमपुर खीरी
सत्यमेव जयते
उ० प्र० सरकार

क्रम सं० 2 शा०सं० 1 दि० 30/1/15 1000

अजय सिंह
स्टाम्प विक्रेता
सिविल कोर्ट, लखीमपुर–खीरी
ला० नं० 25 अवधि 31 दिसम्बर 2015

प्रारूप पत्र

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100.00 | 20 | 120.00 | 1,000 |
| फीस रजिस्ट्री | नकल व प्रति शुल्क | योग | शब्द लगभग |

श्रीमान श्री

विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा एम.आर अंसारी
मोहम्मद शफी

व्यवसाय : अन्य

निवासी स्थायी मो0 जोशी टोला कस्बा खीरी टाउन तह0 लखीमपुर परगना व जिला खी
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 2/2/2015 समय 11:47AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम.के.मिश्र
उपनिबन्धक
लखीमपुर
2/2/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विश्व मानवाधिकार परिषद द्वारा एम.आर.अंसारी
मोहम्मद शफी
पेशा अन्य
निवासी मो0 जोशी टोला कस्बा खीरी टाउन तह0
लखीमपुर परगना व जिला खीरी

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान अनिल कुमार
श्रीकृष्ण यादव

पेशा अन्य

निवासी महेवागंज तह0 लखीमपुर परगना श्रीनगर जिला खीरी

व माखन लाल वर्मा
कामता प्रसाद

पेशा अन्य

निवासी कौरिया संजर तह0 लखीमपुर परगना श्रीनगर जिला
खीरी

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी: पहचानकर्ता का डीएल देखा गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एम.के.मिश्र
उपनिबन्धक
लखीमपुर